राजस्थान विधान सभा

ग्यारहवां सत्र

कार्य-सूची

गुरूवार, दिनांक 06 सितम्बर, 2018

बैठक का समय-प्रात: 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

(क) अधिसूचनायें

1- श्री राजपाल सिंह शेखावत, उद्योग मंत्री, वित्त, आबकारी एवं आयोजना विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे :-

वित्त विभाग

1. अधिसूचना संख्या: एफ.4(3)वित्त/कर/2018-204 दिनांक 20.3.2018 जिसके द्वारा राजस्थान कर बोर्ड को मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है ;
2. अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-II-205 दिनांक 23.3.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर /2017-पार्ट-I-46 दिनांक 29.6.2017 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
3. अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-II-206 दिनांक 23.3.2018 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर नियम, 2017 में संशोधन किया गया है ;
4. अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-II-207 दिनांक 23.3.2018 जिसके द्वारा ई-वे बिल संबंधी नियमों को दिनांक 01 अप्रैल, 2018 से प्रभावी किया गया है ;
5. अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-III-210 दिनांक 28.3.2018 जिसके द्वारा विभागीय अधिसूचना संख्या: एफ.12(46) वित्त/कर/2017-पार्ट-III-202 दिनांक 7.3.2018 के संबंध में एक शुद्धिपत्र जारी किया गया है ;
6. अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-II-05 दिनांक 18.4.2018 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर नियम, 2017 में संशोधन किया गया है ;
7. अधिसूचना संख्या: एफ.2(60)वित्त/कर/2012/पार्ट-06 दिनांक 19.4.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.2(60)वित्त/कर/2012/पार्ट-175 दिनांक 30.1.2018 को अतिष्ठित करते हुए राजस्थान सरकार, नगरीय स्थानीय निकायों, राजकीय उपक्रमों आदि द्वारा जारी लीज डीड या सेल डीड पर देय स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है ;

जारी..2..

8. अधिसूचना संख्या: एफ.2(60)वित्त/कर/2012/पार्ट-07 दिनांक 19.4.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.2(60)वित्त/कर/2012/पार्ट-176 दिनांक 30.1.2018 को अतिष्ठित करते हुए राजस्थान सरकार, नगरीय स्थानीय निकायों, राजकीय उपक्रमों आदि द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-90-ए के अन्तर्गत नियमितीकरण के बाद जारी लीज डीड या सेल डीड पर देय स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है ;
9. अधिसूचना संख्या: प.2(30)वित्त/कर/2015-11 दिनांक 26.4.2018 जिसके द्वारा राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार -2018 (दिनांक 01 मई, 2018 से 30 जून, 2018) के दौरान तहसीलदार व नायब तहसीलदार को उप रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है ;
10. अधिसूचना संख्या: एफ.12(19)वित्त/कर/2018-16 दिनांक 30.4.2018 जिसके द्वारा आई.टी. क्षेत्र, पर्यटन एवं मनोरंजन के क्षेत्र में उद्यम स्थापित करने हेतु स्टाम्प ड्यूटी में 50 प्रतिशत छूट प्रदान की गई है ;
11. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-II-17 दिनांक 14.5.2018 जिसके द्वारा पंजीकृत व्यवहारियों को जीएसटीआर-3-बी फॉर्म के विलम्ब शुल्क से परिहार किया गया है ;
12. अधिसूचना संख्या: एफ.12(30)वित्त/कर/2018-18 दिनांक 14.5.2018 जिसके द्वारा राजस्थान माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ कतिपय अपीलीय प्राधिकारियों को अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया गया है ;
13. अधिसूचना संख्या: एफ.12(30)वित्त/कर/2018-19 दिनांक 14.5.2018 जिसके द्वारा राजस्थान माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत कतिपय प्राधिकारियों को क्षेत्रीय अधिकारिता के लिये अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त किया गया है ;
14. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-I-22 दिनांक 28.5.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर /2017-पार्ट-I-43 दिनांक 29.6.2017 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
15. अधिसूचना संख्या: एफ.2(54)वित्त/कर/2007-25 दिनांक 30.5.2018 जिसके द्वारा राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड द्वारा आरएसआरटीसी के पक्ष में निष्पादित की जाने वाली लीज डीड पर देय स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है ;
16. अधिसूचना संख्या: एफ.2(54)वित्त/कर/2007-26 दिनांक 30.5.2018 जिसके द्वारा राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड द्वारा आरएसआरटीसी के पक्ष में निष्पादित की जाने वाली लीज डीड पर पंजीकरण शुल्क में छूट प्रदान की गई है ;
17. अधिसूचना संख्या: एफ.2(29)वित्त/कर/2018-50 दिनांक 11.6.2018 जिसके द्वारा राजस्थान फसल ऋण माफी योजना-2018 के अन्तर्गत किसानों से शपथ पत्र एवं घोषणा पत्र पर वसूल की जाने वाली स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है ;

जारी..3..

18. अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-II-51 दिनांक 13.6.2018 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर नियम, 2017 में संशोधन किया गया है ;

19. अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-II-52 दिनांक 13.6.2018 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-67(8) के अन्तर्गत जब्त करने के बाद शीघ्र खराब होने वाली अथवा हानिकारक वस्तुओं के संबंध में उचित निस्तारण की कार्यवाही की गई है ;

20. अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-III-53 दिनांक 19.6.2018 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर नियम, 2017 में संशोधन किया गया है ;

21. अधिसूचना संख्या: एफ.12(26)वित्त/कर/2018-54 दिनांक 22.6.2018 जिसके द्वारा पंजीकृत व्यवहारियों द्वारा विदेशी मदिरा, भारत में निर्मित विदेशी मदिरा, देशी मदिरा एवं बीयर की बिक्री पर देय कर पर 20 प्रतिशत सरचार्ज लगाया गया है ;

22. अधिसूचना संख्या: एफ.12(26)वित्त/कर/2018-55 दिनांक 22.6.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(59)वित्त/कर/2014-18 दिनांक 14.7.2014 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

23. अधिसूचना संख्या: एफ.2(28)वित्त/कर/2018-56 दिनांक 25.6.2018 जिसके द्वारा राज्य सरकार के समस्त विभागों द्वारा ईग्रास के माध्यम से उचित स्टाम्प ड्यूटी चुकाने के संबंध में पाबन्द किया गया है ;

24. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-II-61 दिनांक 29.6.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-I-46 दिनांक 29.6.2017 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

25. अधिसूचना संख्या: एफ.2(60)वित्त/कर/2012-पार्ट-62 दिनांक 30.6.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.2(60)वित्त/कर/2012/पार्ट-06 दिनांक 19.4.2018 में संशोधन किया गया है;

26. अधिसूचना संख्या: एफ.2(60)वित्त/कर/2012-पार्ट-63 दिनांक 30.6.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.2(60)वित्त/कर/2012/पार्ट-07 दिनांक 19.4.2018 में संशोधन किया गया है;

27. अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-III-64 दिनांक 6.7.2018 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर नियम, 2017 में संशोधन किया गया है ;

28. अधिसूचना संख्या: एफ.12(1)वित्त/कर/2016-66 दिनांक 16.7.2018 जिसके द्वारा मैसर्स बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड़, बीकानेर को 10 वर्ष की अवधि के लिये विद्युत शुल्क में सशर्त 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है ;

जारी..4..

29. अधिसूचना संख्या: एफ.5(3)वित्त/कर/2018-68 दिनांक 19.7.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.4(3)वित्त/कर/2018-201 दिनांक 6.3.2018 को अतिष्ठित करते हुए पारिवारिक सदस्यों के बीच निष्पादित भागीदारी के विघटन तथा भागीदारों के निवृत्त होने से सबंधित दस्तावेजों पर देय स्टाम्प ड्यूटी को घटाया गया है ;

30. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-III-69 दिनांक 26.7.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-I-49 दिनांक 29.6.2017 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

31. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-III-70 दिनांक 26.7.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-I-50 दिनांक 29.6.2017 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

32. अधिसूचना संख्या:एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्टIII-71 दिनांक 30.6.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-I-51 दिनांक 29.6.2017 में संशोधन किया गया है;

33. अधिसूचना संख्या:एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्टIII-72 दिनांक 26.7.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-1-52 दिनांक 29.6.2017 में संशोधन किया गया है;

34. अधिसूचना संख्या:एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्टIII-73 दिनांक 26.7.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-1-49 दिनांक 29.6.2017 में संशोधन किया गया है;

35. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-III-74 दिनांक 26.7.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-I-40 दिनांक 29.6.2017 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

36. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-III-75 दिनांक 26.7.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-I-41 दिनांक 29.6.2017 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

37. अधिसूचना संख्या:एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-III-76 दिनांक 26.7.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-1-44 दिनांक 29.6.2017 में संशोधन किया गया है;

38. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-II-77 दिनांक 26.7.2018 जिसके द्वारा हस्तशिल्प वस्तुओं की अन्तरराज्यीय आपूर्ति पर देय कर का परिहार किया गया है ;

39. अधिसूचना संख्या: एफ.2(60)वित्त/कर/2012/पार्ट-78 दिनांक 1.8.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.2(60)वित्त/कर/2012/पार्ट-06 दिनांक 19.4.2018 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

जारी..5..

40. अधिसूचना संख्या: एफ.2(60)वित्त/कर/2012/पार्ट-79 दिनांक 1.8.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.2(60)वित्त/कर/2012/पार्ट-07 दिनांक 19.4.2018 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

41. अधिसूचना संख्या: एफ.2(32)वित्त/कर/2018-80 दिनांक 1.8.2018 जिसके द्वारा हुडको द्वारा रूडसिकों के पक्ष में निष्पादित ऋण इकरारनामा पर देय स्टाम्प ड्यूटी का परिहार किया गया है ;

42. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-III-84 दिनांक 6.8.2018 जिसके द्वारा ऐसे करदाता जिन्होंने फॉर्म जीएसटी-आरईजी-26 जमा नहीं कराया है परन्तु केवल प्रोविजनल आईडेंटीफिकेशन नम्बर प्राप्त किया है, ऐसे करदाताओं के लिये जीएसटीआईएन हेतु आवेदन करने संबंधी प्रावधान किया गया है ;

43. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्टIII-85 दिनांक 6.8.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-I-46 दिनांक 29.6.2017 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है ;

44. अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-II-87 दिनांक 10.8.2018 जिसके द्वारा ऐसे पंजीकृत व्यवहारी जिनका चालू वित्तीय वर्ष में टर्नओवर 1.5 करोड़ है, के लिये फॉर्म जीएसटीआर-1 त्रैमासिक प्रस्तुत करने के लिये नीयत तिथि का निर्धारण किया गया है ;

45. अधिसूचना संख्या: एफ.12(111)वित्त/कर/2009-पार्ट-90 दिनांक 27.8.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.4(1)वित्त/कर-अनु/2000-21 दिनांक 28 जून, 2004 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

46. अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-III-92 दिनांक 4.9.2018 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर नियम, 2017 में संशोधन किया गया है ; एवं

47. अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-III-93 दिनांक 4.9.2018 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत कतिपय व्यक्तियों को श्रेणी अनुसार चुकाये गये विलम्ब शुल्क से छूट प्रदान की गई है ।

<u>आबकारी विभाग</u>

1- अधिसूचना संख्या:एफ.4(1)वित्त/आब/2015-पार्ट-I दिनांक 23.3.2018 जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी नियम, 1956 में संशोधन किया गया हैं ;

2- अधिसूचना संख्या:एफ.4(1)वित्त/आब/2016-पार्ट-I दिनांक 3.4.2018 जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी(ग्राण्ट ऑफ होटल बार/क्लब बार लाईसेंस) नियम, 1973 में संशोधन किया गया हैं ; एवं

3- अधिसूचना संख्या:एफ.4(1)वित्त/आब/2015-पार्ट-I दिनांक 24.3.2018 जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी नियम, 1956 में संशोधन किया गया हैं ।

जारी..6..

आयोजना विभाग

1- अधिसूचना संख्या :एफ.17(1)21/भामाशाह/डीईएस/2016, दिनांक 20 जून, 2018, जिसके द्वारा राजस्थान भामाशाह (लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं का सीधा अंतरण और सेवाओं का परिदान) नियम, 2018 विरचित किये गये हैं ; एवं

2- अधिसूचना संख्या :एफ.17(1)21/भामाशाह/डीईएस/पार्ट-II/2017, दिनांक 27 जून, 2018, जिसके द्वारा भामाशाह प्राधिकरण का गठन किया गया है।

2- श्री गुलाब चन्द कटारिया, गृह मंत्री, कार्मिक विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे :-

कार्मिक विभाग

1- अधिसूचना संख्या :एफ.7(1)डीओपी/ए-II/2017, दिनांक 21.12.2017, जिसके द्वारा राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) अधिनियम, 2017 की धारा-4 के अन्तर्गत अति पिछड़ा वर्गों के लिये राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का एक प्रतिशत किया गया है ; एवं

2- अधिसूचना संख्या :एफ.7(1)कार्मिक/क-2/17, दिनांक 29.1.2018, जिसके द्वारा राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) अधिनियम, 2017 की धारा-8 के अन्तर्गत अति पिछड़ा वर्गों के लिये रोस्टर बिन्दु एवं आरक्षण की गणना संबंधी कठिनाई का निराकरण किया गया है ।

3- श्री राजेन्द्र राठौड़, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री, पंचायती राज विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे :-

पंचायती राज विभाग

1- अधिसूचना संख्या :एफ.4(7)अमे./रूल्स/लीगल/पीआर/2014/926, दिनांक 10 जुलाई, 2018, जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में संशोधन किया गया है ;

2- अधिसूचना संख्या :एफ.4(7)अमे./रूल्स/लीगल/पीआर/2014/927, दिनांक 10 जुलाई, 2018, जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में संशोधन किया गया है ;

3- अधिसूचना संख्या :एफ.4(93)सीएलयू/नोटि./लीगल/पीआर/2018/833, दिनांक 25 जून, 2018, जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 173-क के अन्तर्गत प्राधिकारियों को प्राधिकारियों के कृत्यों का पालन करने के लिये प्राधिकृत किया गया है ; एवं

4- अधिसूचना संख्या :एफ.4(93)सीएलयू/नोटि./लीगल/पीआर/2018/834, दिनांक 25 जून, 2018, जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 173-ख के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिये संबंधित जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को प्राधिकृत किया गया है ।

जारी..7..

परिवहन विभाग

4- श्री युनूस खान, परिवहन मंत्री, परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या एफ:6(96)/परि/कर/मु/उर्स/5255 दिनांक 13 मार्च, 2018 जिसके द्वारा दिनांक 14.3.2018 से 2.4.2018 तक की अवधि में अन्य राज्यों से अजमेर शहर को आने/जाने वाले समस्त यात्री वाहनों के लिये रूपये 6000/- से अधिक के करों का परिहार किया गया है, सदन की मेज पर रखेंगे ।

5- श्री पुष्पेन्द्र सिंह, ऊर्जा राज्यमंत्री, विधि एवं ऊर्जा विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे :-

विधि विभाग

1- अधिसूचना संख्या :एफ.7(170)/रालसा/संयुक्त सचिव/संस्था- वि संशोधन/ 2018/61, दिनांक 02 फरवरी, 2018, जिसके द्वारा राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विनियम, 1999 में संशोधन किया गया है ; एवं

2- अधिसूचना संख्या :एस.ओ.14 दिनांक 28 मार्च, 2018, जिसके द्वारा राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विनियम, 1999 में संशोधन किया गया है ।

ऊर्जा विभाग

अधिसूचना संख्या :राविविआ/सचिव/विनियम 120 दिनांक 09 अगस्त, 2017 जिसके द्वारा राविविआ(विद्युत प्रदाय कोड तथा सम्बद्ध मामले) विनियम, 2004 में संशोधन किया गया है ।

महिला एवं बाल विकास विभाग

6- श्रीमती अनिता भदेल, महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री, महिला एवं बाल विकास विभाग की अधिसूचना संख्या : एफ.14(1)(40)निमअ/सामू.वि./2015-16/89287, दिनांक 11 जून, 2018 जिसके द्वारा राजस्थान सामूहिक विवाह एवं अनुदान नियम, 2018 विरचित किये गये हैं, सदन की मेज पर रखेंगी ।

(ख) वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे

1- श्री गुलाब चन्द कटारिया, गृह मंत्री, निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखेंगे :-

(I) भारत के संविधान के अनुच्छेद 323(2) के अन्तर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग का 66वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-2016 ;

(II) मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा-35 की उप धारा-4 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के वित्तीय लेखे एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017 ; एवं

(III) मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा-20 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की स्पेशल रिपोर्ट ऑन सिलकोसिस ।

जारी..8..

2- श्री राजपाल सिंह शेखावत, उद्योग मंत्री, निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखेंगे :-

(I) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड़ का 48वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 2016-2017 ;

(II) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड़ का 33वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017; एवं

(III) खादी बोर्ड अधिनियम, 1955 की धारा-34(3)(का) के अन्तर्गत राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2015-2016.

3- श्री प्रभुलाल सैनी, कृषि मंत्री, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-394(2) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड़ का 45वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-2014 सदन की मेज पर रखेंगे ।

4- श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा), पर्यटन राज्यमंत्री, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड़ का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-2015 सदन की मेज पर रखेंगी ।

3. कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं उस पर विचार

श्री कालूलाल गुर्जर, सरकारी मुख्य सचेतक कार्य सलाहकार समिति के 42वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे ।

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि -

"यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 42वें
प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है ।"

4. समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन

(I) श्री गोपाल कृष्ण, सभापति, प्राक्कलन समिति 'ख', 2018-2019, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग से संबंधित समिति के दशम् प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे ।

(II) श्री घनश्याम तिवाड़ी, सभापति, याचिका समिति, 2018-2019, सार्वजनिक निर्माण विभाग से संबंधित समिति को प्राप्त याचिकाओं से संबंधित समिति के तेरहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे ।

(III) श्री ज्ञानचन्द पारख, सभापति, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, 2018-2019 , ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग से संबंधित समिति के सप्तम् प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे ।

जारी..9..

(IV) श्री विजय बंसल (पप्पू बंडा), सभापति, स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति, 2018-2019, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (स्थानीय निकाय) वर्ष 2012-2013 में समाविष्ट नगरीय विकास (नगर विकास न्यास, कोटा) विभाग से संबंधित अनुच्छेद संख्या 4.3.1 पर समिति के 14वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे ।

(V) श्री प्रध्युमन सिंह, सभापति, जनलेखा समिति, 2018-2019 समिति के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करेंगे :-

1. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2015-16 के अनुच्छेद संख्या 3.2, 3.3, 3.5 एवं 3.14 में समाविष्ट जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2018-19 का 261वां प्रतिवेदन ।
2. जनलेखा समिति, 2016-17 के 167वें प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2018-19 का 262वां प्रतिवेदन ।
3. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राज्य-वित्त) वर्ष 2014-15 के अनुच्छेद संख्या 1.9.8 वित्त, वाणिज्यिक कर, ऊर्जा, पर्यावरण, खनिज, श्रम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी तथा जल संसाधन विभागों से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2018-19 का 263वां प्रतिवेदन ।
4. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र) वर्ष 2014-15 का अनुच्छेद संख्या 3.3 में समाविष्ट सार्वजनिक निर्माण विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2018-19 का 264वां प्रतिवेदन ।
5. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र) वर्ष 2015-16 का अनुच्छेद संख्या 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 एवं 3.10 में समाविष्ट सार्वजनिक निर्माण विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2018-19 का 265वां प्रतिवेदन ।
6. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2014-15 का अनुच्छेद संख्या 3.7 जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2018-19 का 266वां प्रतिवेदन ।
7. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र) वर्ष 2015-16 का अनुच्छेद संख्या 3.1 पर्यावरण विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2018-19 का 267वां प्रतिवेदन ।
8. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2015-16 का अनुच्छेद संख्या 3.11 उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2018-19 का 268वां प्रतिवेदन ।

जारी..10..

9. जनलेखा समिति, 2017-18 के 204वें प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2018-19 का 269वां प्रतिवेदन ।

10. जनलेखा समिति, 2016-17 के 116वें प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2018-19 का 270वां प्रतिवेदन ।

11. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र) वर्ष 2014-15 का अनुच्छेद संख्या 3.2 जल संसाधन विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2018-19 का 271वां प्रतिवेदन ।

12. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र) वर्ष 2014-15 का अनुच्छेद संख्या 3.4, 3.6 एवं 3.7 जल संसाधन विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2018-19 का 272वां प्रतिवेदन ।

13. जनलेखा समिति, 2017-18 के 217वें प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2018-19 का 273वां प्रतिवेदन ।

14. जनलेखा समिति, 2017-18 के 220वें प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2018-19 का 274वां प्रतिवेदन ।

15. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2015-16 का अनुच्छेद संख्या 2.2 प्राथमिक शिक्षा विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2018-19 का 275वां प्रतिवेदन ।

16. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राज्य वित्त) वर्ष 2015-16 का अनुच्छेद संख्या 2.4 गृह एवं राजस्व विभागों से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2018-19 का 276वां प्रतिवेदन ।

17. विनियोग लेखे वर्ष 2015-2016 में बताये गये दत्तमत्त अनुदानों तथा प्रभृत्त विनियोगों के अतिरेक के मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2018-19 का 277वां प्रतिवेदन ।

18. जनलेखा समिति, 2016-17 के 164वें प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2018-19 का 278वां प्रतिवेदन ।

19. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राज्य वित्त) वर्ष 2015-16 का अनुच्छेद संख्या 1.2.4 वित्त, ग्रामीण विकास तथा महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2018-19 का 279वां प्रतिवेदन ।

जारी..11..

20. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राज्य वित्त) वर्ष 2014-15 का अनुच्छेद संख्या 1.7.5 वित्त, स्वायत्त शासन, स्थानीय निकाय, पंचायती राज तथा नगरीय विकास एवं आवासन विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2018-19 का 280वां प्रतिवेदन ।

21. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2015-16 का अनुच्छेद संख्या 2.1 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2018-19 का 281वां प्रतिवेदन ।

22. जनलेखा समिति, 2015-16 के 68वें प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2018-19 का 282वां प्रतिवेदन ।

23. जनलेखा समिति, 2017-18 के 185वें प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2018-19 का 283वां प्रतिवेदन ।

24. विनियोग लेखे वर्ष 2016-2017 में बताये गये दत्तमत्त अनुदानों एवं प्रभृत्त विनियोगों में अतिरेक के मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2018-19 का 284वां प्रतिवेदन ।

25. जनलेखा समिति, 2017-18 के 191वें प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2018-19 का 285वां प्रतिवेदन ।

26. जनलेखा समिति, 2017-18 के 206वें प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2018-19 का 286वां प्रतिवेदन ।

27. जनलेखा समिति, 2016-17 के 153वें प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2018-19 का 287वां प्रतिवेदन ।

28. जनलेखा समिति, 2017-18 के 200वें प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2018-19 का 288वां प्रतिवेदन ।

जारी..12..

29. जनलेखा समिति, 2017-18 के 202वें प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2018-19 का 289वां प्रतिवेदन ।

30. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियॉ) वर्ष 2012-13 में समाविष्ट अनुच्छेद संख्या 7.1 से 7.7.12 खनिज विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2018-19 का 290वां प्रतिवेदन ।

31. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियॉ) वर्ष 2012-13 में समाविष्ट अनुच्छेद संख्या 7.1 से 7.6 खनिज विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2018-19 का 291वां प्रतिवेदन ।

32. जनलेखा समिति, 2016-17 के 156वें प्रतिवेदन (परिवहन विभाग) (चौदहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2018-19 का 292वां प्रतिवेदन ।

33. जनलेखा समिति, 2017-18 के 238वें प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2018-19 का 293वां प्रतिवेदन ।

34. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र) वर्ष 2015-16 का अनुच्छेद संख्या 3.12 एवं 3.13 तथा वर्ष 2016-2017 का अनुच्छेद संख्या 3.10 जल संसाधन विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2018-19 का 294वां प्रतिवेदन ।

35. जनलेखा समिति, 2017-18 के 218वें प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2018-19 का 295वां प्रतिवेदन ।

36. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियॉ) वर्ष 2011-12 में समाविष्ट वित्त (मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क विभाग) से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2018-19 का 296वां प्रतिवेदन ।

37. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियॉ) वर्ष 2012-13 में समाविष्ट वित्त (मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क विभाग) से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2018-19 का 297वां प्रतिवेदन ।

38. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) वर्ष 2013-14 में समाविष्ट वित्त (मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क विभाग) से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2018-19 का 298वां प्रतिवेदन ।

जारी..13..

39. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) वर्ष 2014-15 में समाविष्ट वित्त (मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क विभाग) से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2018-19 का 299वां प्रतिवेदन ।

40. जनलेखा समिति, 2007-08 के 251वें प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में खान एवं भू-विज्ञान से संबंधित सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2018-19 का 300वां प्रतिवेदन ।

41. जनलेखा समिति, 2007-08 के 252वें प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में खान एवं भू-विज्ञान से संबंधित सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2018-19 का 301वां प्रतिवेदन ।

42. जनलेखा समिति, 2011-12 के 116वें प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में खान एवं पैट्रोलियम विभाग से संबधित सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2018-19 का 302वां प्रतिवेदन ।

43. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) वर्ष 2015-16 में समाविष्ट परिवहन विभाग (वाहनों, माल और यात्रियों पर कर) से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2018-19 का 303वां प्रतिवेदन ।

44. जनलेखा समिति, 2015-16 के 102वें प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में परिवहन विभाग से संबधित सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2018-19 का 304वां प्रतिवेदन ।

45. जनलेखा समिति, 2016-17 के 155वें प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में परिवहन विभाग से संबधित सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2018-19 का 305वां प्रतिवेदन ।

46. जनलेखा समिति, 2015-16 के 103वें प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में भू-राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग से संबधित सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2018-19 का 306वां प्रतिवेदन ।

47. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियॉ) वर्ष 2015-16 में समाविष्ट भू-राजस्व विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2018-19 का 307वां प्रतिवेदन ।

48. जनलेखा समिति, 2016-17 के 159वें प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में भू-राजस्व विभाग से संबधित सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2018-19 का 308वां प्रतिवेदन ।

जारी..14..

49. जनलेखा समिति, 2016-17 के 182वें प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में भू-राजस्व विभाग से संबधित सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2018-19 का 309वां प्रतिवेदन ।

50. जनलेखा समिति, 2013-14 के 254वें प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में खान, भू-विज्ञान एवं पैट्रोलियम विभाग से संबधित सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2018-19 का 310वां प्रतिवेदन ।

51. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) वर्ष 2012-13 में समाविष्ट वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2018-19 का 311वां प्रतिवेदन ।

52. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) वर्ष 2013-14 में समाविष्ट वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2018-19 का 312वां प्रतिवेदन।

53. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र) वर्ष 2015-16 का अनुच्छेद संख्या 3.2 जल संसाधन विभाग से संबंधित जनलेखा समिति वर्ष 2018-19 का 313वां प्रतिवेदन।

(VI) श्री मोहन लाल गुप्ता, सभापति, राजकीय उपक्रम समिति, 2018-2019 समिति के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करेंगे :-

1- राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड़ से संबंधित अंकेक्षण प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) वर्ष 2014-2015 से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2018-2019 का 119वां प्रतिवेदन ;

2- राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड़ से संबंधित अंकेक्षण प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) वर्ष 2008-2009 से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2014-2015 के सातवें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2018-2019 का 120वां प्रतिवेदन ;

3- राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड़ से संबंधित अंकेक्षण प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) वर्ष 2013-2014 से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2016-2017 के 81वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2018-2019 का 121वां प्रतिवेदन ;

4- राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन, प्रसारण निगम लिमिटेड़ एवं जयपुर, अजमेर व जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड़ से संबंधित अंकेक्षण प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) वर्ष 2014-2015 से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2017-2018 के 110वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2018-2019 का 122वां प्रतिवेदन ; एवं

5- राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन, प्रसारण निगम लिमिटेड़ एवं जयपुर, अजमेर व जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड़ से संबंधित अंकेक्षण प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) वर्ष 2015-2016 से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2017-2018 के 111वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2018-2019 का 123वां प्रतिवेदन ;

जारी..15..

5. विधायी कार्य

विचारार्थ लिया जाने वाले विधेयक

(I) डॉ0 सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2018

(I) श्री कालीचरण सराफ, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

डॉ0 सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्या-15)

"डॉ0 सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर अधिनियम, 2002 को और संशोधित करने के लिए विधेयक ।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

(II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

(II) जगद्गुरू रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018

(I) श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य विधान सभा निम्नांकित परिनियत संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

जगद्गुरू रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (2018 का अध्यादेश संख्यांक- 5) के संबंध में परिनियत संकल्प

"यह सदन श्रीमान् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 01 अगस्त, 2018 को प्रख्यापित जगद्गुरू रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (2018 का अध्यादेश संख्यांक-5) को अस्वीकार करता है ।"

(II) श्रीमती किरण माहेश्वरी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगी कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

जगद्गुरू रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्या-26)

"जगद्गुरू रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 1998 को और संशोधित करने के लिये विधेयक ।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

(III) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक को पारित किया जाय ।

जारी..16..

(III) राजस्थान निजी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2018

(I) श्रीमती किरण माहेश्वरी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगी कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

राजस्थान निजी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2018
(2018 का विधेयक संख्या-14)

"निजी विश्वविद्यालयों की विधियों को और संशोधित करने के लिए विधेयक ।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

(II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक को पारित किया जाय ।

(IV) अपेक्स विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2018

(I) श्रीमती किरण माहेश्वरी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगी कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

अपेक्स विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2018
(2018 का विधेयक संख्या-17)

"राजस्थान राज्य में अपेक्स विश्वविद्यालय, जयपुर की स्थापना और निगमन के लिये और उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिये विधेयक ।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

(II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक को पारित किया जाय ।

(V) श्याम विश्वविद्यालय, लालसोट, दौसा विधेयक, 2018

(I) श्रीमती किरण माहेश्वरी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगी कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

श्याम विश्वविद्यालय, लालसोट, दौसा विधेयक, 2018
(2018 का विधेयक संख्या-19)

"राजस्थान राज्य में श्याम विश्वविद्यालय, लालसोट, दौसा की स्थापना और निगमन के लिये और उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिये विधेयक ।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

(II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक को पारित किया जाय ।

जारी..17..

(VI) लॉर्ड्स विश्वविद्यालय, चिकानी (अलवर) विधेयक, 2018

(I) श्रीमती किरण माहेश्वरी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगी कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

लॉर्ड्स विश्वविद्यालय, चिकानी (अलवर) विधेयक, 2018
(2018 का विधेयक संख्या-22)

"राजस्थान राज्य में लॉर्ड्स विश्वविद्यालय, चिकानी (अलवर) की स्थापना और निगमन के लिये और उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिये विधेयक ।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

(II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक को पारित किया जाय ।

(VII) श्री खुशाल दास विश्वविद्यालय, पीलीबंगा विधेयक, 2018

(I) श्रीमती किरण माहेश्वरी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगी कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

श्री खुशाल दास विश्वविद्यालय, पीलीबंगा विधेयक, 2018
(2018 का विधेयक संख्या-23)

"राजस्थान राज्य में श्री खुशाल दास विश्वविद्यालय, पीलीबंगा की स्थापना और निगमन के लिये और उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिये विधेयक ।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

(II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक को पारित किया जाय ।

(VIII) राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2018

(I) श्री राजेन्द्र राठौड़, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2018
(2018 का विधेयक संख्या-21)

"राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 को और संशोधित करने के लिए विधेयक ।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

(II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

जारी..18..

(IX) राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2018

(I) श्री राजेन्द्र राठौड़, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2018
(2018 का विधेयक संख्या-27)

"राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 को और संशोधित करने के लिए विधेयक ।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

(II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

दिनेश कुमार जैन
सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 05 सितम्बर, 2018